आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

19.11.16

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं0 07/2008–09

खेलानंद यादव, पिता–डोमी यादव, सा0–बड़हरा, थाना–नरपतगंज, जिला–अररिया

बनाम

बुधनी देवी, पिता–स्व0 बुन्नी यादव, पति–रामानंद यादव, सा0–बड़हरा, थाना–नरपतगंज, जिला–अररिया

आदेश

प्रस्तुत नामान्तरण पुनरीक्षण वाद आवेदक खेलानंद यादव, पिता–डोमी यादव, सा0–बड़हरा, थाना–नरपतगंज, जिला–अररिया की ओर से नामान्तरण अपील वाद सं0 12/2007–08 में विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2008 के विरूद्ध समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दिनांक 18.10.2008 को दाखिल किया गया। जिसे समाहर्त्ता, अररिया द्वारा दिनांक 09.07.2010 को विचारार्थ स्वीकृत किया गया और दिनांक 14.08.2015 को इसे विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया। जो उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया के पत्रांक 1199/विधि, दिनांक 25.08.2015 द्वारा हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	कुल रकवा
बड़हरा	211	346	1512	0.51 ए0
		138	1502	0.70 ए0
			1496	0.11 ए0
			1497	0.20 ए0
			1500	0.04 ए0
			1501	0.19 ए0
				कुल 1.75 ए0

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि का आर0एस0 सर्वे खतियान वंशी यादव के दो पुत्र छुतहरू यादव एवं बुन्नी यादव के नाम दर्ज हुआ। बुन्नी यादव को दो पत्नी थी, खटरी देवी तथा मक्कों देवी। पहली पत्नी से लंगड़ी देवी पुत्री, पति–सुकुम लाल यादव हुई तथा दूसरी पत्नी से बुधनी देवी हुई। लंगड़ी देवी को चार पुत्र तथा बुधनी देवी को छः पुत्र हुये। अपने जीवनकाल में बुन्नी यादव ने अपनी पत्नी मक्को देवी को 1.51 एकड़ भूमि दानपत्र द्वारा दिया जो उन्होंने अपने नाती सब को दान में दे दिया। पुनरीक्षणकर्त्ता खेलानंद यादव द्वारा प्रश्नगत भूमि बजरिये निबंधित केवाला दिनांक 28.12.2006 एवं 04.07.2006 द्वारा लगड़ी देवी के पुत्रों से क्रय किया गया जिसका दाखिल–खारिज वाद सं0 16/2006–07 द्वारा नामान्तरण कराकर दखलकार हुए। जिसके विरूद्ध द्वितीय पक्ष बुधनी देवी द्वारा नामान्तरण अपील वाद सं0 12/2007–08 विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के न्यायालय में दाखिल

किया गया। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा पुनरीक्षणकर्त्ता के नामान्तरण को खारिज कर दिया गया।

इनका यह भी कहना है कि लंगड़ी देवी ने अपना हक कायम हेतु मान्नीय मुंसफ न्यायालय में T.S. No. 363/90 दाखिल किया जो खारिज हो गया। चकबंदी पुनरीक्षण वाद 1132/87 उप निदेशक चकबंदी के न्यायालय में लंबित है। ऐसी स्थिति में जहाँ चकबंदी में उत्तराधिकारी का मामला लंबित है तो विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज का पारित आदेश विधि विरूद्ध है, जो खारिज योग्य है। जिसे खारिज करने का अनुरोध करते हैं।

दूसरी ओर विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि का खतियान छुतहरू यादव व बुन्नी यादव, पिता–स्व0 वंशी यादव, सा0–बड़हरा के नाम से दर्ज हुआ। खतियान में दोनों का अलग–अलग दखल इन्द्राज हुआ। बुन्नी यादव ने अपने जीवनकाल में ही प्रश्नगत खाता 346, खेसरा 1512, रकवा 1.51 एकड़ भूमि प्रथम पत्नी मक्को देवी को निबंधित दस्तावेज सं0 3840/58, दिनांक 19.07.1958 द्वारा दान कर दी जिसका दाखिल–खारिज उनके नाम से हुई और लगान रसीद भी प्राप्त किया गया तथा वे दखलकार हुई। मक्को देवी के द्वारा दान के माध्यम से प्राप्त 1.51 एकड़ भूमि में से 1.00 एकड़ जमीन अपनी पुत्री बुधनी देवी के पुत्र अर्थात अपने नाती भूपदेव यादव एवं कृष्णदेव यादव, पे0–रामानंद यादव को निबंधित केवाला द्वारा बिक्री किया गया है। जिसपर वे दखलकार होकर लगान रसीद प्राप्त करते आ रहें है।

इनका यह भी कहना है कि मक्को देवी की मृत्यु के पश्चात् खतियानी रैयत बुन्नी यादव ने खटरी देवी से दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी खटरी देवी ने अपने पूर्व पति के संतान लगड़ी देवी को अपने साथ लेकर आई। इस प्रकार लगड़ी देवी का मक्को देवी एवं बुन्नी यादव के सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। फिर भी लगड़ी देवी द्वारा उनकी सम्पत्ति को हासिल करने के लिए चकबंदी पदाधिकारी, नरपतगंज में वाद दाखिल किया जिसमें विपक्षी द्वारा आपत्ति भी दाखिल किया गया, किन्तु चकबंदी पदाधिकारी द्वारा उसे खारिज कर दिया गया। ततपश्चात् विपक्षी द्वारा संयुक्त निदेशक, चकबंदी पटना के न्यायालय में धारा 35 के तहत वाद सं0 1132/87 दाखिल किया गया जिसे पटना द्वारा दिनांक 29.07.1988 को उप निदेशक, चकबंदी, पूर्णियाँ के न्यायालय में रिमांड कर दिया गया, किन्तु अभी तक उसपर कोई फैसला नहीं हुआ है। लगड़ी देवी द्वारा मान्नीय मुंसफ न्यायालय, अररिया में T.S. वाद भी दाखिल किया गया जो लगड़ी देवी के हीं उक्त वाद में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 16.02.1999 को खारिज हो गया है। लगड़ी देवी अपने पिछे चार पुत्रों यथा नंदलाल यादव, बंदेलाल यादव, असर्फी यादव एवं किशोर यादव को छोड़कर मृत हुई। उक्त चारों पुत्रों ने प्रश्नगत भूमि बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 5151, दिनांक 04.07.2006 द्वारा पुनरीक्षणकर्त्ता खेलानंद यादव के हाथ बिक्री कर दिया, किन्तु उन्हें बिक्री करने का कोई अधिकार नहीं था। पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा प्रश्नगत भूमि का दाखिल–खारिज भी नामान्तरण वाद सं0 16/2006–07 द्वारा अपने पक्ष में करवा लिया गया। जिसके विरूद्ध विपक्षी द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के न्यायालय में नामांतरण अपील वाद सं0 12/2007–08 दाखिल किया। जिसमें विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा प्रथम पक्ष खेलानन्द यादव के नामान्तरण आदेश को रद्द कर दिया गया है, जो आदेश विधि सम्मत एवं न्यायसंगत है। जिसे बहाल रखते हुए प्रथम पक्ष के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने का अनुरोध करते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, संलग्न साक्ष्यों का अवलोकन तथा निम्न न्यायालय के अभिलेखों के गहन परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत जमीन के खतियानी रैयत छुतहरू यादव एवं बुन्नी यादव थे। बुन्नी यादव के द्वारा खेसरा सं0 1512 की जमीन सहित अन्य भूमि को मक्को देवी को निबंधित केवाला द्वारा बिक्री किया

गया था जिसे मक्को देवी द्वारा खेसरा सं0 1512 की 1.00 एकड़ भूमि सहित अन्य भूमि अपने नातियों को निबंधित केवाला द्वारा बिक्री किया गया। जिसका लगान रसीद भी उनके द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। चकबंदी रिवीजन वाद सं0 1132/87 में पारित आदेश दिनांक 29.07.1988 से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामला को संयुक्त निदेशक, चकबंदी पटना के द्वारा उपनिदेशक, चकबंदी पूर्णियाँ को रिमांड किया गया है। उभय पक्षों के द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट हो सके कि उपनिदेशक, चकबंदी, पूर्णियाँ द्वारा इस मामलें में कोई अंतिम आदेश पारित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि यह मामला अभी भी चकबंदी उपनिदेशक, पूर्णियाँ के न्यायालय में लंबित है।

लगड़ी देवी द्वारा दाखिल स्वत्व वाद सं0 363/90 खारिज हो जाने से स्पष्ट है कि स्वत्व वाद में वर्णित केवाला एवं भूमि के संबंध में लगड़ी देवी के पक्ष में किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं हुआ। साथ ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट हो सके कि प्रश्नगत जमीन पर मक्को देवी का स्वामित्व नहीं था। अथवा प्रश्नगत जमीन में लगड़ी देवी बराबर की हिस्सेदार थी। इस प्रकार लगड़ी देवी के पुत्रों को पुनरीक्षणकर्त्ता के साथ बिक्री की गई भूमि का कोई वैद्यानिक अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं था और उक्त केवाला द्वारा प्राप्त भूमि का दाखिल–खारिज पुनरीक्षणकर्त्ता के पक्ष में शिविर नामान्तरण वाद सं0 11.06.2007 के माध्यम से विज्ञ अंचलाधिकारी, नरपतगंज द्वारा नामान्तरण की पूर्ण प्रक्रिया अपनाये बिना किया गया। जिसे विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज ने अपने आदेश दिनांक 29.04.2009 द्वारा निरस्त किया गया है, जो विधि सम्मत एवं न्यायपूर्ण है। इस प्रकार पुनरीक्षणकर्त्ता अपने दावे को साबित करने में असफल रहे है।

अतएव नामान्तरण अपील वाद सं0 12/2007–08 में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के पारित आदेश दिनांक 29.04.2008 को विधि सम्मत एवं न्याय संगत पाते हुए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। जिसे बहाल रखते हुए पुरीक्षणकर्त्ता के पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज/अंचल अधिकारी, नरपतगंज को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

अपर समाहर्त्ता
अरररिया

अपर समाहर्त्ता
अरररिया

ज्ञापांक 130 /रा0, अरररिया, दिनांक 19/11/2016

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज को नामान्तरण अपील वाद सं0 12/2007–08 (बुधनी देवी बनाम खेलानन्द यादव) मूल के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक : ना0 अपील वाद सं0 12/2007–08 मूल में।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, नरपतगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

19.11.16

अपर समाहर्त्ता
अरररिया